न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 32/2018
3. उनवान : लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम जुनसिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

बनाम

1.ग्राम पंचायत लालासर, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2.सुरजाराम पुत्र श्री गौरूराम
3.साधू पुत्र श्री गौरूराम
4.मालीराम पुत्र श्री गौरूराम
5.झमरी पत्नी मालीराम
समस्त निवासी ग्राम जुनसिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री मदनलाल कुडी निगरानीकर्ता की ओर से।
ब) श्री बन्शीधर जाट गैर निगरानीकारान की ओर से ।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार ने पट्टा संख्या 82 जारी दिनांक 05.08.2006 कुल क्षेत्रफल 868.88 वर्गगज, जो गैरनिगरानीकार संख्या 1 द्वारा स्व0 श्रीमती रूकमा जाखड पत्नी श्री दुर्जनसिंह निवासी ग्राम जुनसिया लालासर तहसील फुलेरा के उसके पुश्तैनी कब्जे अनुसार पंचायती राज प्रावधानों का पालन कर नियमानुसार उसके नाम जारी किया था। जिसे जरिये विक्रय पत्र निगरानीकार ने दिनांक 13.06.2011 को खरीद कर मौके पर काबिज चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड जिस पर निगरानीकार काबिज हैं पर गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 ने गैर निगरानीकार संख्या 1 से मिलीभगत कर उक्त पट्टा संख्या 82 के मौके का व निगरानीकार को बिना विधिक सूचना, सुनवाई, साक्ष्य, सबूत से वंचित रखते हुये गैर निगरानीकार संख्या 1 ने क्षेत्राधिकार बाहर जाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों को ताक में रखते हुए, गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 के कहे अनुसार दिनांक 20.07.2009 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर उक्त पट्टा संख्या 82 दिनांक 05.08.2006 को खारिज कर दिया। दिनांक 18.12.2013 को गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 जो कि भू–माफिया तथा आपराधिक प्रकृति के लोग हैं, ने निगरानीकार के उक्त क्रयशुदा भूखण्ड पर कब्जा करने की नियत से यह कहते हुए कि उक्त भूखण्ड से निगरानीकार का कोई संबंध नहीं है, निर्माण आदि करने की कोशिश की। निगरानीकार उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 82 जो स्व0 श्रीमती रूकमा देवी पत्नी दुर्जन सिंह जाट के नाम से था, से निगरानीकार ने दिनांक 13.06.2011 को क्रय कर काबिज है। मौके पर उक्त के संबंध में दस्तावेज आदि गैर निगरानीकार को निगरानीकार द्वारा बताये गये तथा निगरानीकार ने ग्राम पंचायत (गैर निगरानीकार संख्या 1) द्वारा पट्टा संख्या 82 निरस्त किया हुआ प्रस्ताव संख्या 3 की प्रति दिखाई, जिसकी एक प्रति निगरानीकार द्वारा उनसे मांगी गई, जो प्राप्त कर निगरानीकार ने तथा मौके पर मौजूदा गांव के मौजीजा लोगों की समझाईश पर गैर निगरानीकार निर्माण की एलानिया धमकी देकर चले गये। गैर निगरानीकार संख्या 4 ने पूर्व में उक्त भूखण्ड बाबत निगरानीकार के विरूद्ध एक झूठा मुकदमा किया है। निगरानीकार ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के सूक्ष

उक्त पट्टा संख्या 82 व प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.07.2009 की नकल चाहने बाबत आवेदन किया। जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा चाहे गये सम्पूर्ण रिकॉर्ड की नकले नहीं देकर पंचायत रिकॉर्ड में चाही गई नकलें नहीं होना अंकित कर अवगत कराया।

अन्त में निवेदन किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टा संख्या 82 दिनांक 05.08.2006 जिसको गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.07.2009 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा खारिज कर दिया गया, को निरस्त फरमाते हुए विपक्षीगण/ गैर निगरानीकार को पाबन्द फरमावें कि निगरानीकार की कय व कब्जाशुदा भूखण्ड में किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले तथा निर्माण नहीं करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये। मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया, जिस पर ग्राम पंचायत लालासर के पत्र क्रमांक ग्रा.प.ला./76/2014–15 दिनांक 05.08.2014 द्वारा मूल रिकॉर्ड पुलिस थाना रेनवाल द्वारा जब्त होना बताया, जिसकी फोटो प्रति प्रेषित की गई है।

तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि हस्तगत निगरानी पट्टा संख्या 82 दिनांक 05.08.2006 कुल क्षेत्रफल 868.88 वर्गगज द्वारा ग्राम पंचायत लालासर पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर विचाराधीन है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 श्रीमती रूकमा जाखड पत्नी श्री दुर्जनसिंह निवासी ग्राम जुनसिया लालासर तहसील फुलेरा के उसके पुंश्तैनी कब्जे अनुसार पंचायती राज प्रावधानों का पालन कर नियमानुसार उसके नाम जारी किया था। जिसे जरिये विक्रय पत्र निगरानीकार ने दिनांक 13.06.2011 को खरीद कर मौके पर काबिज चला आ रहा है। बिना विधिक सूचना, सुनवाई, साक्ष्य, सबूत से वंचित रखते हुये गैर निगरानीकार संख्या 1 ने क्षेत्राधिकार बाहर जाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों को ताक में रखते हुए दिनांक 20.07.2009 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर उक्त पट्टा संख्या 82 दिनांक 05.08.2006 को खारिज कर दिया। निगरानीकार का मौके पर कब्जा है तथा मकान बना कर निवास कर रहा है। उक्त भूखण्ड निगरानीकार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया था। जिसे खारिज करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। यदि ग्राम पंचायत को पट्टे के सन्दर्भ में कोई आपत्ति थी, तो ग्राम पंचायत को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टा संख्या 82 दिनांक 05.08.2006 जिसको गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.07.2009 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा खारिज कर दिया गया, को निरस्त फरमाते हुए विपक्षीगण/गैर निगरानीकार को पाबन्द फरमावें कि निगरानीकार की क्रय व कब्जाशुदा भूखण्ड में किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले तथा निर्माण नहीं करें।

अधिवक्ता गैर निगरानीकारान ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार द्वारा मूल आवंटी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। निगरानीकार द्वारा 868.88 वर्गगज का पट्टा पंचायती राज अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। निगरानीकार स्वयं इस गांव का स्थानीय निवासी नहीं है। निगरानीकार को निगरानी पट्टे की बजाय प्रस्ताव की निगरानी दायर करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा मूल रिकॉर्ड भी प्रेषित नहीं किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी असत्य एवं झूठे तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:–

1. निगरानीकार द्वारा प्रश्नगत निगरानी पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.2009 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 17.01.2014 को पेश की गई है, जो काफी विलम्ब से है तथा विलम्ब के लिए प्रार्थना अन्तर्गत मियाद अधिनियम में कोई ठोस एवं पुख्ता आधार/साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

2. निगरानीकार द्वारा दिनांक 20.07.2009 को निरस्त पट्टे को 13.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया है। निरस्त पट्टे को क्रय करना विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं शून्य है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार का निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं रह जाता है।

3. निगरानीकार द्वारा क्रय किये गये पट्टे को जारी करने तथा निरस्त करने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निगरानी विचारणीय ज्ञात नहीं होती है।

4. निगरानीकार द्वारा क्रय किये गये पट्टे को जारी करने संबंधी कार्यवाही विवरण पर सचिव की सील तो लगी है, परन्तु हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में पट्टा जारी करने का प्रस्ताव विधि संगत पुष्ट नहीं होता है।

5. निगरानीकार द्वारा निगरानी के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।